सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

पीठासीन अधिकारीः– श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

निर्णय

प्रकरण सख्या : 27/2015

बउनवानः–

छीतरलाल पुत्र धन्नालाल जाति चमार निवासी हरसोली तह0 मांगरोल जिला बारां (मृतक)

1/1 गोपाली बाई पत्नि
1/2 पानाचन्द पुत्र
1/3 बाबूलाल पुत्र
1/4 मुरलीधर पुत्र
1/5 रामप्यारी पुत्री

} स्व0 छीतरलाल जाति चमार निवासीगण हरसोली तहसील मांगरोल जिला बारां

...वादीगण

♠ बनाम ♠

01. मूलीलाल पुत्र बिसना जाति मीणा निवासी हरसोली हाल मुकाम गजनपुरा रोड बारां तह0 बारां जिला बारां
02. देवलाल पुत्र गोरू जाति भील निवासी हरसोली तह0 मांगरोल हाल मुकाम रेलवे स्टेशन के पास अन्ता जिला बारां
03. धनपाल पुत्र जग्गा जाति भील निवासी हरसोली तहसील मांगरोल जिला बारां
04. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 आर0टी0एक्ट0

वकील वादीगण : श्री लिहाज हुसैन अंसारी

वकील प्रतिवादीगण कम 2 : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

वकील प्रतिवादीगण कम 3 : श्री बुद्धि प्रकाश मालव

दायरा दिनांकः 31.03.2015 — निर्णय दिनांक : 08.02.2019

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण के खाते की आराजी खाता संख्या 30 खसरा नं0 12 रकबा 0.11 है0, खसरा नं0 17 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 26 रकबा 0.41 हे0 कुल किता 3 रकबा 0.94 है0 वाके ग्राम हरसोली तहसील मांगरोल में स्थित है जो वादी के खाते राजस्व रेकार्ड

वादी संख्या 2068 से 2071 में दर्ज है जिसका वादी एक मात्र तन्हा खातेदार है। प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 वादी के पडौसी काश्तकार है व लडाकू व ताकतवर लडाकू प्रवृत्ति के व्यक्ति है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की आराजी खसरा नं0 17 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 26 रकबा 0.41 है0 ग्राम हरसोली में मेढ पर जबरदस्ती ताकत के बल पर हांक लिया है। तथा वादी को उसके खाते की भूमि से बेदखल करने की नियत रखे हुए है। वादी की भूमि पर जबरन काबिज है। जिसका प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। वादी प्रतिवादीगण द्वारा किये गए अवैध कब्जा को हटाए जाने का अधिकारी हैं। अतः प्रतिवादीगण कम 1 ता 3 को वादी के खाते की आराजी खाता संख्या 30 खसरा नं0 17 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 26 रकबा 0.41 है0 वाके माल हरसोली पर से अवैध कब्जा हटा कर बेदखल किया जाकर वादी को मौके पर भूमि का कब्जा सम्भलाया जावें। तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें कि उक्त वर्णित आराजी में दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 31.03.2015 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी तामिली प्रति शामिल फाईल है। प्रतिवादी कम 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र सिंह हाडा व प्रतिवादी कम 3 की ओर से अधिवक्ता श्री बुद्धि प्रकाश मालव ने वकालत नामा प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण द्वारा आज दिनांक तक जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बन्द किया गया। दिनांक 08.02.2019 को प्रतिवादीगण कम 1, 2 व 3 असालतन व वकालतन अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली में दिनांक 08.02.2019 को वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादीगण द्वारा अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया है।

पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन, मनन व अध्ययन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में निवेदन किया है कि उसकी कब्जे व खाते की आराजी खाता संख्या 30 खसरा नं0 17 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 26 रकबा 0.41 है0 वाके माल हरसोली में प्रतिवादी कम 1, 2 व 3 बदनियति रखते है एवं वादीगण को काश्त करने में दखलअंदाजी करता है। अतः मुताबिक वाद पत्र, संलग्न दस्तावेज एवं वकील वादीगण द्वारा की गई एक पक्षीय बहस के मध्य नजर वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी कम 1 मूलीलाल पुत्र बिसना जाति मीणा निवासी हरसोली हाल मुकाम गजनपुरा रोड बारां तह0 बारां व प्रतिवादी कम 2 देवलाल पुत्र गोरू जाति भील निवासी हरसोली तह0 मांगरोल हाल मुकाम रेलवे स्टेशन के पास अन्ता जिला बारां व प्रतिवादी कम 3 धनपाल पुत्र जग्गा जाति भील निवासी हरसोली तहसील मांगरोल जिला बारां को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वादीगण की कब्जे व खाते की आराजी आराजी खाता संख्या 30 खसरा नं0 17 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 26 रकबा 0.41 है0 वाके

इस्तोली में किसी प्रकार की दखलअंदाजी ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधि से करावें व ...गण को शांति पूर्वक काश्त करने देवें। प्रतिवादी कम 4 तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) को आदेश दिया जाता है कि वादीगण व प्रतिवादीगण की उपस्थिति में मौके पर वादीगण की खाते व कब्जे की आराजी खसरा नं0 17 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 26 रकबा 0.41 है0 का सीमाज्ञान करवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2019 को सरेईजलास मजमेंआम में सुनाय